

बिहार सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

—: अधिसूचना :-

पटना, दिनांक- 23/6/2022

- संख्या-01/दि०स०नि०यो०(सम्बल)-03/2022.....500.....सरकार
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना 'सम्बल' के तहत कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण किया जा रहा है।
2. दिव्यांगजनों में भी चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों की मूलभूत आवश्यकता आवागमन है। इसमें एक विशेष श्रेणी छात्र-छात्राओं तथा रोजगारपरक व्यक्तियों की है, जिन्हें पढाई अथवा रोजगार के लिए अत्यधिक दूर जाना पड़ता है तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा रोजगार स्थल तक दूर जाने में हस्त चालित ट्राईसाईकिल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं रोजगार हेतु आवागमन की गुणवत्तापूर्ण सुविधा के लिए इस विशेष श्रेणी के चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल देना समीचीन प्रतीत होता है।
 3. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (अधिसूचना संख्या-5722 दिनांक-27.11.2017) की कंडिका- 6.1 अंतर्गत पात्र चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान शामिल किया जाता है।

4. पात्रता:-

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत बैट्री चालित ट्राईसाईकिल हेतु निम्न श्रेणी के चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन पात्र होंगे :-

(i) (a) चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन छात्र / छात्राएँ जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो

अथवा

(b) वैसे चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हों और परिवार के कमाऊ सदस्य हों तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।

- (ii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य होगा
- (iii) आयः—अधिकतम 2 लाख प्रतिवर्ष
- (iv) आयुः—18 वर्ष या उससे अधिक
- (v) दिव्यांगता (प्रतिशत):— न्यूनतम 60 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता

5. आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रियाः—

- (i) विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे।
- (ii) आवेदन के साथ आधार कार्ड, सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का आई0कार्ड (पहचान पत्र), रोजगार / व्यवसाय संबंधित प्रमाण-पत्र, मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं फोटो आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iii) प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जायेगा जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः—

1. जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त	सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक—सह— मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
4. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
5. रेड क्रॉस सोसायटी, जिला इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य
6. सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग	सदस्य सचिव

बजट उपबंध के अधीन विभाग द्वारा जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्क्रीनिंग समिति के द्वारा आवेदन पत्रों में से सुयोग्य दिव्यांगजनों का चयन किया जायेगा तथा प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर क्रमवार सूची तैयारी की जायगी। इसकी सूची जिला स्थित सभी कार्यालयों तथा प्रखंड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर तथा पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायगी। साथ ही चयनित / अचयनित दिव्यांगजनों को भी इसकी सूचना पोर्टल / SMS / e-Mail के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

- (iv) योजना अंतर्गत त्वरित लाभ प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक नियमित रूप से की जायगी।

- (v) स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयनित दिव्यांगजनों के लिए बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के क्रय हेतु अधियाचना से लेकर वितरण तक की कार्रवाई संबंधित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा की जाएगी। वितरण का कार्य शिविर के माध्यम से किया जायगा।
- (vi) पात्र आवेदकों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर लाभान्वित किया जायगा।
- (vii) इस योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,000 चलंत दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जायगा।
- (viii) एक बार लाभान्वित होने के पश्चात लाभुक को आगामी 10 वर्ष तक बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का लाभ नहीं दिया जायगा।
- (ix) बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एलिमको (ALIMCO) से किया जायगा।
- (x) लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने, कैंप आयोजित करने आदि के लिए 'सम्बल' योजना अंतर्गत 1% राशि का व्यय प्रशासनिक/कार्यालय व्यय पर किया जायगा।
- (xi) इस योजना के व्यावहारिक क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका आवश्यकतानुसार माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जायगी।

6. बजट शीर्ष :-

इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। जिला के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय सहित राशि उपलब्ध करायी जायगी। इसका व्यय भार राज्य योजना 'सम्बल' के सामान्य घटक के लिए विपत्र कोड-51-2235021010119 एवं 'सम्बल' के विशेष घटक के लिए विपत्र कोड-51-2235027890111 के अंतर्गत भारित होगा।

- 7. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (अधिसूचना संख्या-5722 दिनांक-27.11.2017) में शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(रमेश कुमार झा)

संयुक्त निदेशक (मु0),


समाज कल्याण विभाग।

Sho.


ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०यो०(सम्बल)-03/2022 स.क. 500 पटना, दिनांक- 23/06/22
प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी
सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


(रमेश कुमार झा)
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०यो०(सम्बल)-03/2022 स.क. 500 पटना, दिनांक- 23/06/22
प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव / सचिव, माननीय मंत्री, समाज
कल्याण विभाग के आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम /
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण
निदेशालय / निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय / निदेशक, आई०सी०डी०एस०
निदेशालय / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, बिहार, पटना / State
Informatics Officer, NIC, Patna / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / सरकार
पक्ष को सूचनार्थ प्रेषित ।


(रमेश कुमार झा)
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०यो०(सम्बल)-03/2022 स.क. 500 पटना, दिनांक- 23/6/22
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सभी
अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी
प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी सहायक निदेशक,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।


(रमेश कुमार झा)
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग ।